मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 22–06/2018/आठ

भोपाल,दिनांक 30 जनवरी 2018

## //परिपत्र//

परिवहन यानों की तेज गति को नियंत्रित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक सा.कां.नि. 290(अ) दिनांक 15.04.2015 तथा अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 424(अ) दिनांक 01.05.2017 एवं मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 22–12/2016/आठ, भोपाल,दि0 16.09.2016 के पालन में 1 अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित "कमेटी ऑन रोड सेफ्टी" ने पत्र कमांक एफ.15/2016/CoRS दिनांक 11.04.2017 द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है जिसके तारतम्य में मध्यप्रदेश शासंन एवं परिवहन आयुक्त द्वारा भी समय–समय पर जारी परिपत्रो के माध्यम से विस्तृत मार्गदर्शन प्रदाय किये गये थे। इसके उपरांत भी कतिपय गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माताओं द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने में अनियमितता बरती जाने के क़ारण विभाग को शिकायते प्राप्त हो रही हैं। दिनांक 05.01.2018 को इंदौर में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चार स्कूली बच्चों सहित चालक की मृत्यु हो गयी। उक्त स्कूल बस में निर्धारित मानक का गति नियंत्रक उपकरण (SLD) न लगे होने के कारण वाहन की गति नियंत्रण में नहीं थी। उक्त घटना के परिपेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा दिनांक 08.01.2018 को दिये गये निर्देश तथा माननीय मंत्री महोदय, गृह एवं परिवहन द्वारा दिनांक 09.01.2018 को संपन्न बैठक में वाहनों में लगने वाले गति नियंत्रक उपकरण (SLD) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से मॉनिटरिंग किये जाने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु यह परिपत्र जारी किया जाता है। गति नियत्रंक उपकरण (SLD) लगाये जाने के संबंध में, पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 16.09.2016 के अनुकम में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है: –

1. प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम, 126 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेन्सी से गति नियंत्रक उपकरण (SLD) का टाइप एप्रुवल कराया जाना आवश्यक होगा।
2. गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्रत्येक वाहन वेरिएंट के लिए टाइप एप्रुवड (SLD) का मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य हैं। इस हेतु विनिर्माता द्वारा ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, आवेदन के साथ प्रति मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट के लिए रु 500/–फीस जमा करनी होगी जो वापसी योग्य नहीं होगी।
3. मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट के आवेदन के समय प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा निर्मित गति नियंत्रक उपकरण (SLD) के संबंध में पेटेंट एक्ट/कॉपी राईट एक्ट/ट्रेडमार्क एक्ट के उल्लंघन के लिए न तो वह दोषसिद्ध किया गया हैं न ही उस पर इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज है और न ही कोई जॉच लंबित हैं। यदि गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा कोई गलत, दूषित या तथ्यो को छुपाकर कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो परिवहन